



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 479 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

7 सितम्बर, 2022

विषय:- पूर्व से संचालित जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण (End-to-end Computerization of TPDS) योजना को राज्य योजनान्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित वार्षिक लागत रुपये 50.00 (पचास) करोड़ मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि रुपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- खा. प्र.-04 (कम्प्यूट) 02/2022-2615--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- W.P. (C) No. 196/2001 में पारित आदेशों में जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण करने के निदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस डी.पी. बाधवा की अध्यक्षता में गठित जन वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय निगरानी समिति के द्वारा समयबद्ध तरीके से जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण करने के निदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2155, दिनांक 01.07.2013 के

द्वारा जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण (End-to-end Computerization of TPDS) योजना की प्राक्कलित राशि रुपये 159.41 (एक अरब उनसठ करोड़ एकतालीस लाख) मात्र पर योजना की स्वीकृति 5 वर्षों के लिए दी गई थी ।

2. योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण (End-to-end Computerization of TPDS) योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए थे:-

I. (क) जन वितरण प्रणाली की परिचालनीय दक्षता (operational efficiency) में वृद्धि लाना:-

- (i) सूचनाओं के आदान-प्रदान में लगने वाले समय में कमी लाना ताकि ससमय निर्णय लिया जा सके तथा योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण संभव हो सके ।
- (ii) प्रखण्ड स्तर से राज्य स्तर तक के डाटा का न्यूनतम समय में Consolidation.

(ख) सेवा प्रदायी प्रणाली (Service Delivery System) की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी लाना:

- (i) वास्तविक समय (Real Time) में खाद्यान्न के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम एवं उसके आगे जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न संचालन (Movement) की जानकारी प्राप्त करना ।
- (ii) खाद्यान्न वितरण में होने वाले अनियमितता एवं क्षरण को रोका जाना।
- (iii) लक्षित लाभुकों को सुगमता से खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा यह सूचना प्राप्त करना कि जन वितरण प्रणाली के वास्तविक लाभुकों द्वारा ही योजना का लाभ उठाया जा रहा है ।
- (iv) कार्यों के निष्पादन एवं प्रणाली/व्यक्तियों में प्रदर्शन का ऑनलाइन मुल्यांकन ।

(ग) पारदर्शिता में वृद्धि लाना:

- (i) जन वितरण प्रणाली से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ जन साधारण एवं संबंधित व्यक्तियों को ट्रान्सपरेन्सी पोर्टल, कॉल सेन्टर एवं एस.एम.एस. इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- (ii) जन साधारण को जन वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण एवं जन शिकायतों पर कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराना ।

II. कम्प्यूटरीकरण योजना के मुख्य भागः

(क) सप्लाई चेन कम्प्यूटरीकरण - इस भाग में खाद्यान्न के आवंटन, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग से संबंधित प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के डिपो से प्रारम्भ करते हुए झारखंड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक खाद्यान्न पहुँचाने एवं उससे आगे जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लिये खाद्यान्न के निर्गमन तक की सभी सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जाना एवं इसे वेबसाइट पर देखने योग्य बनाना। सप्लाई चेन कम्प्यूटरीकरण भाग की मुख्य विशिष्टताएँ निम्न प्रकार हैं:-

- (i) **ऑनलाइन आवंटन** - राज्य एवं जिला स्तर से खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन किया जाना, जिसमें विगत माह में खाद्यान्न का उपयोग अगले माह के खाद्यान्न आवंटन का आधार बनाया जाना ।
- (ii) **जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा आवंटन के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि का भुगतान** - बैंक ड्राफ्ट की प्रणाली के स्थान पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवंटन के विरुद्ध राशि का हस्तांतरण झारखंड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना। प्राप्त भुगतान एवं आवंटन के आलोक में स्वतः कम्प्यूटरीकृत भंडार निर्गम आदेश (Store Issue Order) प्राप्त करने योग्य बनाना ।
- (iii) विभागीय एवं झारखंड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जिला एवं प्रखंड कार्यालय तथा गोदामों में ऑल-इन-वन कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. (UPS) तथा लैन केबलिंग का प्रावधान किया जाना ।
- (iv) गोदाम सहित सभी कार्यालयों में इंटरनेट संयोग का प्रावधान ।
- (v) गोदाम पर इनफोरमेशन कियोस्क का अधिष्ठापन ।
- (vi) सभी कर्मियों को प्रशिक्षण ।
- (vii) एक प्रधान परामर्शी प्रथम वर्ष के पाँच माह तक, तीन वरीय परामर्शी तीन वर्षों के लिये जिनमें से एक चौथे वर्ष तक रहेंगे, तथा दो परामर्शी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिये तथा एक परामर्शी चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के साथ प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट का गठन ।

- (viii) पाँच वर्षों के लिये सात कम्प्यूटर ऑपरेटर राज्य मुख्यालय, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 3 माह के लिए एक कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक गोदाम में रखने का प्रावधान ।
- (ix) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में साफ्टवेयर के Development Customization एवं Support हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम कम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साफ्टवेयर डेवलॉपर्स/प्रोग्रामर, डाटा इंटी ऑपरेटर इत्यादि को पाँच वर्षों के लिये प्रावधान है। साफ्टवेयर के डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन एप्लिकेशन सपोर्ट (Development Customization Application Support) का प्रावधान ।
- (x) साफ्टवेयर जाँच (Software testing) एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Quality Certification) का प्रावधान ।
- (xi) राज्य डाटा केन्द्र (State Data Center) पर सर्वर (Server) एवं राउटर (Router) इत्यादि का प्रावधान। इसमें अतिरिक्त Disaster Recovery Site का भी प्रावधान किया गया है ।
- (xii) राज्य के बड़े गोदामों पर धर्मकांटा (Weighbridge) तथा शेष गोदामों पर डिजिटल भार मापक (Digital Weighing Machine) का प्रावधान ।
- (xiii) टॉल फ्री (Toll free) कॉल सेन्टर तथा वेब आधारित शिकायत पृष्ठ (Grievance Page) का प्रावधान ।
- (ख) जन वितरण प्रणाली के दुकानों का कम्प्यूटरीकरण इसके अंतर्गत राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर Point of Sale (PoS) मशीन अधिष्ठापित किया जाना ताकि लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली का बेहतर लाभ मिल सके एवं अनियमितता पर रोक लगायी जा सके। ये च्वै मशीनें विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के माध्यम से लाभुकों की पहचान करेगी एवं केन्द्रीय सर्वर से इन्टरनेट के माध्यम से जुड़ी रहेगी ।

3. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-4788, दिनांक 06.10.2015 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में Build Own Operate (BOO) Model के आधार पर Biometric Handheld Device द्वारा खाद्यान्न वितरण अगले पाँच वर्षों तक किये जाने का निर्णय लिया गया एवं End-to-end Computerization of TPDS के संशोधित प्रोजेक्ट मूल्य रुपये 239.20 करोड़ (दो अरब उनचालीस करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके

तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्नों सहित अन्य सामग्रियों का वितरण आधार आधारित e-PoS मशीन के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसका पाँच वर्ष की एकरारनामा अवधि फेजवार (Phase wise) जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक समाप्त हो रही है। पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् e-PoS मशीन का स्वामित्व विभाग का होना है। e-PoS की कार्य क्षमता का आकलन एवं खाद्यान्नों का वितरण e-PoS के माध्यम से करने हेतु वर्तमान में कार्यरत e-PoS मशीनों के Service Support के लिए पूर्व के शर्तों पर 2+1 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित की गई है।

4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्रांक F No. 23/Jharkhand/2012-Comp.Cell दिनांक 05.06.2013 द्वारा राज्य में End-to-end Computerization of TPDS योजना के संचालन हेतु राशि रुपये 31.56 करोड़ मात्र को Admissible मानते हुए 50:50 Cost Sharing basis पर स्वीकृति दी गई थी।

5. पुनः भारत सरकार के पत्रांक F No. 4(2)/2016-Comp-(Vol-II) दिनांक 07.03.2019 द्वारा End-to-end Computerization of TPDS योजना की अवधि दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित की गई थी। तत्पश्चात् केन्द्र प्रायोजित योजना End-to-end Computerization of TPDS योजना भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है।

6. वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक End-to-end Computerization of TPDS योजना के विभिन्न Components के अन्तर्गत राशि रुपये 295.31 करोड़ (दो अरब पन्चानबे करोड़ एकतीस लाख रुपये) मात्र का व्यय किया गया है।

7. विभाग अन्तर्गत NFSA-2013 के सफल अनुपालन, आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण आदि हेतु End-to-end Computerization of TPDS योजना विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों सहित अन्य गतिविधियों का Online अनुश्रवण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु विभाग स्तर पर 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर कार्यरत हैं।

8. जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्नों का वितरण करने में योजना की प्रासंगिकता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2155, दिनांक 01.07.2013 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी राज्य मद से योजना का संचालन किया जायेगा।

9. कम्प्यूटराइजेशन योजनान्तर्गत सप्लाइ चेन मैनेजमेन्ट का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रक्रियाधीन है। कंडिका-2 में वर्णित कई कार्य भविष्य में अनवरत रूप से किया जाना आवश्यक है ताकि राज्य के लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उचित मात्रा में मिलती रहे। साथ ही, वर्तमान में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों के प्रयोग से व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं सरलीकरण का कार्य किया जाना है जो निम्नवत् है-

- (i) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों तक खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलिवरी का ऑनलाइन अनुश्रवण सुनिश्चित करना एवं लाभुकों के बीच उचित मात्रा में ससमय खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का अनुश्रवण ऑनलाइन सुनिश्चित करना ।
- (ii) सभी विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में लाभुकों से प्राप्त शिकायतों के ससमय निराकरण हेतु लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- (iii) राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ऑनलाइन ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करना एवं इस व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत 2जी ई-पॉस मशीनों के स्थान पर 4जी ई-पॉस मशीनों का अधिष्ठापन करते हुए खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को सरल एवं और अधिक पारदर्शी किये जाने हेतु कार्रवाई करना ।
- (iv) उक्त समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से अनुश्रवण किये जाने हेतु राज्य स्तर पर Command & Control Centre का अधिष्ठापन सुनिश्चित करना, ताकि खाद्यान्न परिवहन में विचलन को रोका जा सके ।
- (v) सभी राशनकार्डों में आधार एवं मोबाईल संख्या की सिडिंग सुनिश्चित करना ।
- (vi) आवश्यकतानुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों में Iris Scanner का अधिष्ठापन सुनिश्चित करना ताकि Authentication failure के प्रतिशत को कम किया जा सके।
- (vii) समय-समय पर पुराने हो चुके मशीनरी एवं उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों का क्रय एवं रख रखाव तथा भविष्य में यथावश्यक तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना ।
- (viii) सम्पूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था के संधारण हेतु कम्प्यूटराईजेशन योजना अन्तर्गत एक PMU कार्यरत है जिसके अन्तर्गत PDS, धान अधिप्राप्ति योजना एवं विधिक माप विज्ञान प्रभाग के तकनीकी कार्यों का संचालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।
PMU अन्तर्गत तकनीकी कर्मियों की सेवाएँ NICS I के माध्यम से प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं अन्तर्गत लाभुकों के वृहत डाटा बेस/आँकड़ों के संधारण एवं आँकड़ों की शुद्धता रखे जाने हेतु Technical experts की आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए PMU अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों को संविदा/ NICS I/JAPIT Approved Agency से बाह्यस्रोत आधारित सेवाएँ प्राप्त कर योजना का सफल संचालन कराया जायेगा ।
- (ix) योजनान्तर्गत कार्यों के सुगम कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची एवं जिलों में बाह्य स्रोत से अतिरिक्त तकनीकी कर्मियों की सेवा प्राप्त की जायेगी ।

10. दिनांक 22.08.2022 को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में दिये गये परामर्श के आलोक में भारत सरकार से भी योजना अन्तर्गत राशि प्राप्त किये जाने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

11. उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 01.09.2022 की बैठक की मद संख्या-16 में दी गई स्वीकृति के आलोक में विभाग अन्तर्गत संचालित जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण (End-to-end Computerisation of TPDS) योजना को राज्य योजनान्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन योजना अन्तर्गत उपर्युक्त कंडिका-8 में उल्लेखित Components के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित वार्षिक लागत रुपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि रुपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव।
